समाचार
निगम ने जप्त किया 25 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग
(चलाया जा रहा प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्ती का अभियान)

कोरबा 03 अप्रैल 2019 –आयुक्त श्री एस.के. दुबे के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्री व्ही.के. सारस्वत के नेतृत्व में निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी सामग्रियां, कैरीबैग, डिस्पोजल आदि की जप्ती का अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत निगम द्वारा कोसाबाड़ी एवं गेवरा चौक क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 25 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त किया गया, कार्यवाही के दौरान 10000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए राशि की वसूली भी संबंधितों से की गई।

यहां उल्लेखनीय है कि नियमों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प जीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक पी.व्ही.सी. के बैनर, फ्लैक्स होडिंग, फोम बोर्ड तथा खान पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण व उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इन प्रतिबंधित सामग्रियों के उपयोग को रोकने की दिशा में समय–समय पर समुचित कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। इसी कड़ी में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 25 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक निगम द्वारा जप्त किया गया है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व्ही.के. सारस्वत ने बताया कि निगम के कोसाबाड़ी एवं गेवरा चौक क्षेत्र में स्थित व्यवसायियों की दुकानों के निरीक्षण के दौरान उनके दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग्स का उपयोग एवं भंडारण करते पाया गया, जिस पर कार्यवाही क रते हुए निगम अमले ने उक्त सामग्रियों की जप्ती की, उन्होने बताया कि इसके साथ ही 10000 का अर्थदण्ड भी संबंधित व्यवसायियों पर किया जा कर उक्त राशि की वसूली की गई।

आगे भी की जाएगी जप्ती की कार्यवाही– श्री सारस्वत ने बताया नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जप्ती की यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि

प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बैग, डिस्पोजल, क्लोरिनयुक्त फ्लैक्स, क्लोरिनयुक्त पी.व्ही.सी. शीट एवं अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग, भण्डारन, निर्माण आदि का कार्य निगम क्षेत्र में न हों। उन्होने बताया कि कार्यवाही के दौरान व्यवसायियों को समझाईश भी दी गई कि वे इन प्रतिबंधित सामग्रियों का उपयोग अपने प्रतिष्ठानों में न करें तथा कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।

सार्वजनिक स्थान में कचरा फेंकने पर 1000 रू. का अर्थदण्ड– निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ. संजय तिवारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों व मार्गो में कचरा फेंकने पर निगम द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में गेवरा चौक निवासी व्यवसायी संदीप अग्रवाल द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंका गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए संबंधित पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। उन्होने बताया कि कार्यवाही के दौरान लोगों को समझाईश दी गई कि वे घरों, दुकानों आदि से निकले हुए कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर कदापि न फेंके, सूखे व गीले कचरे को पृथक–पृथक डस्टबिन में संग्रहित करके रखें एवं डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण हेतु आने वाले सफाई मित्र के वाहन में ही कचरे को डालें। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर निगम द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है, अतः किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए कचरे को सार्वजनिक स्थानों, मार्गो में न डालें, नगर को साफ–सुथरा रखने में अपनी सहभागिता दें।

फोटो क्रमांक–1